-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम शिव में दिनांक 29.10.2024 को बरामद व्यक्ति के शव की घटना का थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण।**
- **मृतक के रिश्ते के भतीजे ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। पैसों की लालच और जमीन बिक्री के फर्जीवाड़े में फंसने के डर से अभियुक्तों द्वारा की गई थी व्यक्ति की हत्या।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसण्डा क्षेत्र में दिनांक 29.10.2024 को बरामद व्यक्ति के शव की घटना का थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 29.10.2024 को थाना बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम शिव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था जिसकी शिनाख्त दिनांक 31.10.2024 को बुद्धविलास पुत्र राधेचरण नि0 पुनाहुर थाना बिसण्डा के रुप में की गई थी। इस संबंध में थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों तथा संदिग्धों से पूछताछ के माध्यम से थाना बिसंडा पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त आदेश पाण्डेय तथा 02 अन्य को पुनाहुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आदेश पाण्डेय ने बताया कि मृतक बुद्धविलास उसके रिश्ते के चाचा लगते हैं उसने जेसीबी मशीन खरीदने के लिए बुद्धविलास से वर्ष-2023 में 05 लाख रुपये उधार लिए थे जिसे बुद्धविलास अक्सर मांगा करते थे। आदेश पाण्डेय ने बुद्धविलास की बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास की लगभग 01 एक बीघा जमीन दिनांक 25.10.2024 को अपने किसी परिचित को फर्जी तरीके से बुद्धविलास बनाकर पीएससी बिसण्डा के सामने के रहने वाले रामनिहोर साहू को बेचवा दी। जमीन फर्जी तरीके से बिकने की जानकारी धीरे-धीरे गांव वालों को होने लगी थी। आदेश पाण्डेय व रामनिहोर साहू को डर था कि कहीं इसकी जानकारी बुद्धविलास को न हो जाए तो उन दोनों ने मिलकर बुद्धविलास की हत्या की योजना बनाई तथा आदेश पाण्डेय ने 04 लाख रुपये में अपने एक मित्र विप्पा परिहार उर्फ विपिन सिंह नि0 पुनाहुर थाना बिसण्डा को भी घटना को अंजाम देने के लिए शामिल कर लिया। दिनांक 27.10.2024 को अभियुक्त आदेश पाण्डेय ने बुद्धविलास जो की लखनऊ में थे, को फोन कर कहा कि कोई व्यक्ति अपकी बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास वाली 1.5 बीघा जमीन 06 करोड़ रुपये में ख़रीदने को तैयार है, आप आ जाइए तो बात हो जाए जिस पर बुद्धविलास ने दिनांक 28.10.2024 को आने की बात कही। दिनांक 28.10.2024 को दोपहर लगभग 03.00 बजे जब बुद्धविलास अतर्रा में बस से उतरे तो वहां आदेश पाण्डेय व उसका साथी विप्पा परिहार कार लेकर मौजूद थे। बुद्धविलास को बैठाकर दोनों जमीन बिक्री की बात का बहाना बनाकर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से गढवा बल्लान रोड़ की ओर जाने वाली सड़क पर कार मोड़कर रोक दिए और वहीं दोनों ने मिलकर रस्सी से गला कसकर बुद्धविलास की हत्या कर दी और अंधेरा होने पर शव को ग्राम शिव के पास फेंक दिया। उसी रात डावर देव बाबा के पास रामनिहोर ने 04 लाख रुपये का चेक दे दिया जिसे 04.11.2024 को कैश कराने की योजना थी।

बरामदगी-

- 01 चारपहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर (घटना में प्रयुक्त)
- आलाकत्ल रस्सी का टुकड़ा 02 मीटर
- जमीन के बैनामे की छाया प्रति
- मृतक के सैण्डल, हैण्डबैग जिसमें आधार कार्ड की छाया प्रति व स्टाम्प पेपर की छाया प्रति
- 01 बैंक आफ बड़ौदा का चेक

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आदेश पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. विप्पा परिहार उर्फ विपिन सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
3. रामनिहोर साहू पुत्र चन्द्रपाल साहू निवासी वार्ड न0 09 पीएचसी बिसण्डा थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 397/24 धारा 103(1)/316(2)/238/61(2)/3(5) बीएनएस जनपद बांदा।

अपराधिक इतिहास – अभियुक्त रामनिहोर साहू उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 123/01 धारा 498ए/304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 थाना बिसण्डा श्री सुरेश कुमार सैनी
2. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा
3. उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार त्यागी
4. कां0 शिवजीत सिंह
5. कां0 विकास कुमार